पटना समाहरणालय, पटना।

(आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

विशेष सचिव, आपदा पबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 107(स0अनु0)/आ0प्र0 दिनांक 23.12.2015 द्वारा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–उप मुख्यशीर्ष – 02 बाढ़ चक्रवात आदि–लघु शीर्ष–101–आनुग्रहिक राहत–उपशीर्ष –0016– राज्य की स्थानीय प्रकृति के आपदाओं से राहत हेतु अनुदान विपत्र कोड– **N2245021010016** मद् में इस जिला को 4,00,000.00 (चार लाख) रूपये मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसे निम्नरूपेण उपावंटित करते हुये सम्बन्धित कोषागार से वित्तीय वर्ष 2015–16 में निकासी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मांग संख्या – 39, विषय शीर्ष– 31 06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा

(राशि :– रूपये में)

क्रमांक	**उपावंटित पदाधिकारी का नाम**	**पूर्व उपावंटित राशि**	**वर्त्तमान उपावंटित राशि**	**योग**
01.	**अंचलाधिकारी, बिहटा**	00.00	4,00,000.00	4,00,000.00
	योग	**00.00**	4,00,000.00	4,00,000.00

1. सम्बन्धित पदाधिकारी विभागीय अधिसूचना संख्या– 1418/आ0प्र0 दिनांक 17.04.2015 के आलोक में स्वयं संतुष्ट हों लें कि राज्य के विशेष स्थानीय प्रकृति के आपदाओं कि श्रेणी में ही आती है। संतुष्ट होने के उपरान्त राज्य के विशेष स्थानीय प्रकृति के आपदाओं की श्रेणी के घटना के लिए ही राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। लू से मृत कौशल किशोर पाण्डेय, ग्राम– दिलावरपुर, थाना–बिहटा, जिला–पटना के आश्रितों को भुगतेय राशि के समायोजन हेतु भेजा जा रहा है। समायोजन के पश्चात इसकी सूचना अविलम्ब दी जाए।
2. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–उप मुख्यशीर्ष–02–बाढ़ चक्रवात आदि, लघु–शीर्ष–101– आनुग्राहिक राहत–उपशीर्ष –0016–**राज्य की स्थानीय प्रकृति के आपदाओं से राहत हेतु अनुदान विपत्र कोड एन० 2245021010016** मद् में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
3. उपावंटित राशि का व्यय उसी मद् में किया जाय जिस मद् के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद् में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

Awantn

635

4. उपावंटित राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए०सी० विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी०सी० बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय–सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण– पत्र इस कार्यालय को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2016 तक भेजना सुनिश्चित करें।

5. पूर्व आवंटित राशि जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गई है, यदि पूर्णतः व्यय नहीं हो पायी है तो दिनांक 15.03.2016 तक सम्बन्धित कोषागार में जाँच करना सुनिश्चित करें।

6. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष–लघु शीर्ष/उप शीर्ष तथा विपत्र कोड का स्पष्ट रूप से उल्लेख की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उप शीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। कृपया एक विपत्र पर एक ही उप शीर्ष की राशि की निकासी की जाय ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण में कठिनाई नहीं हो।

7. यह उपावंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561/बी० (2), दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय।

8. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.2016 तक निश्चित रूप से कर देंगे अन्यथा, इसके लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

ह0/–
जिला पदाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक IV-11/14-15 154 /आ०प्र०, दिनांक 25/02/16

प्रतिलिपि :– अंचलाधिकारी, बिहटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, पटना एवं उप कोषागार पदाधिकारी, दानापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०,पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को पटना जिला के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाए।

Awantn

प्रतिलिपि :– जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

24/2/16

जिला पदाधिकारी,
पटना।